"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2011—पौष 2, शक 1933

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2011

क्रमांक 1203/1433/अव./2011/1-8/स्था.—श्री गिरीश कोल्हे, मुख्य लेखा अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (लेखा शाखा) को दिनांक 12-7-2011 से 26-7-2011 तक 15 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कोल्हे, आगामी आदेश तक मुख्य लेखा अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (लेखा शाखा) के पद पर पुनः पदस्थ होंगे

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव में मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

3. अवकाश अवधि में श्री कोल्हे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कोल्हे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2011

क्रमांक 1215/497/अव./2011/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 1102-03/497/2011/1-8/स्था., दिनांक 13-6-2011 द्वारा श्री डी. पी. कौशल, स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, कृषि विभाग को दिनांक 8-6-2011 से 17-6-2011 तक 10 दिवस स्वीकृत किये गये अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 18-6-2011 से 20-6-2011 तक 03 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. पैरा-2, 3 एवं 4 विभागीय आदेश दिनांक 13-6-2011 के अनुसार यथावत् होगी.

रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2011

क्रमांक एफ 9-14/2011/1-8.—श्री डी. डी. कुंजाम, अपर संचालक, कार्यालय आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास की सेवाएं उनके मूल विभाग से लेते हुए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2011

क्रमांक 1247/399/अव./2011/1-8/स्था.—श्री विक्रम राम भगत, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 4-5-2011 से 13-5-2011 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 14 एवं 15-5-2011 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री भगत, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री भगत को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भगत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2011

क्रमांक 1249/598/अव./2011/1-8/स्था.—श्री एस. के. तिवारी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त तथा योजना विभाग को दिनांक 4-7-2011 से 8-7-2011 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 3, 9 एवं 10-7-2011 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री तिवारी, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त तथा योजना विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री तिवारी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2011

क्रमांक एफ 14-3/2005/1-8.—श्री संजय गौड, उप संचालक (वित्त) आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग (वित्त प्रकोष्ठ), मंत्रालय की सेवाएं तत्काल प्रभाव से आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को मूलत: वापस लौटाई जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2011

क्रमांक 8475/1615/21-अ (स्था.)/छ.ग./2011.—राज्य शासन, इस विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को वर्ष 2012 में अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण करने के फलस्वरूप तालिका में उनके नाम के समक्ष स्तंभ क्रमांक 4 में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम तथा पदनाम (2)	जन्मतिथि (3)	सेवानिवृत्ति दिनांक (4)
1.	श्री ए. मिंज, अवर सचिव	18-04-1952	30-04-2012
2.	श्री पी. एन. त्रिपाठी, उप सचिव	28-07-1952	31-07-2012
3.	श्री डी. पी. पाराशर, उप सचिव	06-10-1952	31-10-2012
4.	श्रीमती बिबियाना कुजूर, अवर सचिव	10-11-1952	30-11-2012

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, सचिव.

Raipur, the 30th November 2011

F. No. 8472/2263/XXI-B/C.G./2011.—Whereas, the Full Court of Hon'ble High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, in its meeting dated 2nd April 2011 has resolved to re-name "Judicial Officers' Training Institute" Bilaspur as "Chhattisgarh State Judicial Academy" and it is also resolved that the old High Court complex at Bilaspur shall be used for the Chhattisgarh State Judicial Academy;

And whereas, a proposal has been received from Hon'ble High Court of Chhattisgarh, wherein it is expected that the Government of Chhattisgarh should take notice of the resolution dated 2nd April 2011 and notify the resolution in the Official Gazette ;

Now, therefore, the State Government, hereby, notifies the resolution dated 2nd April 2011, passed by

Hon'ble High Court of Chhattisgarh. namely :—

1. Resolved to re-name "Judicial Officers' Training Institute" Bilaspur as "Chhattisgarh State Judicial Academy".
2. Resolved that the old High Court complex at Bilaspur shall be used for the Chhattisgarh State Judicial Academy.

This notification shall come into force with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. L. CHARYANI, Additional Secretary.

पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2011

क्रमांक 832/एफ-8-17/35/गौसेआ/2011.—छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 4 (1) (2) में निहित प्रावधान के अनुसार, राज्य शासन, एतद्द्वारा राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग के अध्यक्ष पद हेतु श्री फूलचंद जैन, मुंगेली को नियुक्त करती है.

अध्यक्ष पद का कार्यकाल तीन वर्ष के लिये ही होगा.

रायपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2011

क्रमांक 834/एफ-8-17/35/गौसेआ/2011.—छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 4 (1) (2) में निहित प्रावधान के अनुसार, राज्य शासन, एतद्द्वारा राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग हेतु निम्नलिखित सदस्य नियुक्त किया जाता है :—

1.	श्री प्रेम सिंघानिया, रायपुर	सदस्य
2.	श्री हरिभाई जोशी, रायपुर	सदस्य
3.	श्री कैलाश गुप्ता	सदस्य
4.	श्री रमेश यदु, भाटापारा	सदस्य
5.	श्री सेवाराम अग्रवाल, अंबिकापुर	सदस्य

उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष के लिये ही होगा.

रायपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2011

क्रमांक 836/एफ-8-17/35/गौसेआ/2011.—छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 3 (2) में निहित प्रावधान के अनुसार, राज्य शासन, एतद्द्वारा राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग हेतु निम्नलिखित सदस्यों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है :—

1. पंडित अरूण शर्मा, कबीरधाम
2. श्रीमति मंजू ठाकुर पति स्व. विजय सिंह ठाकुर, रायपुर
3. श्री पुरषोत्तम गांधी, पिंजरापोल, राजनांदगांव
4. श्री हरीश साहू, पोंड, रायपुर

उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष के लिये ही होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. सिंह, संयुक्त सचिव.

जल संसाधन (आयाकट) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ 11-3/06/आया/40.—छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006 (क्र. 20 सन् 2006) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 37 के उप-नियम (1) के खण्ड (एक) में, शब्द "अनुविभागीय अधिकारी" के स्थान पर शब्द "उप अभियंता" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. नियम 37 के उप-नियम (1) के खण्ड (दो) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
"(दो) मध्यम सिंचाई प्रणाली में वितरिका समिति-अनुविभागीय अधिकारी."

3. नियम 37 के उप-नियम (1) के खण्ड (चार) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—
"(पांच) वृहद सिंचाई प्रणाली में वितरिका समिति-कार्यपालन अभियंता."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ 11-3/06/आया/40.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी नियम, 2006 (क्रमांक 20 सन् 2006) में संशोधन संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24-11-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

Raipur, the 24th November 2011

No. F 11-3/06/Aya/40.—In exercise of the powers conferred by Section 55 of the Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 2006 (No. 20 of 2006), the State Government, hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Niyam, 2006, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In clause (i) of sub-rule (1) of Rule 37, for the words "Sub Divisional Officer" the words "Sub Engineer" shall be substituted.

2. For clause (ii) of sub-rule (1) of Rule 37, the following clause shall be substituted, namely :—
"(ii) Distributory Committee in medium irrigation systems-Sub Divisional Officer."

3. After clause (iv) of sub-rule (1) of Rule 37, the following clause shall be inserted, namely :—
"(v) Distributory Committee in major irrigation systems-Executive Engineer."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YACUB KHESS, Deputy Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2011

क्रमांक 12/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	कोटखर्रा प. ह. नं. 02	0.405	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	कोटखर्रा बगड़ी मार्ग पर तिपान नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2011

क्रमांक/1610/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 8 अ/82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	समोदा प. ह. नं. 36/50	1205	0.180	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	समोदा-अछोला मार्ग के 1/10 पर पुल निर्माण के पहुंच मार्ग में समोदा तरफ पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
			1168	0.360		
		योग	**2**	**0.540**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग-अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2011

क्रमांक/1631/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 7 अ/82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	फरफौद प. ह. नं. 26/55	900	0.03	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र.-1, रायपुर.	फरफौद, गुखेरा के सड़क निर्माण हेतु.
			905	0.09		
		योग	2	0.12		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग-अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 दिसम्बर 2011

क्रमांक 17612/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सेरो, प. ह. नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-333.12 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1/1, 2/1	1.18
1/2, 2/2	1.18
3/1, 6/1, 7/1	0.26
3/2, 6/2, 7/2	0.22
3/3, 6/3, 7/3	2.14
3/4, 6/4, 7/4	0.40
3/5, 6/5, 7/5	3.80
3/6, 6/6, 7/6	0.50
3/7, 6/7, 7/7	0.55
3/8, 6/8, 7/8	0.40
3/9, 6/9, 7/9	0.50
3/10, 6/10, 7/10	0.52
3/11, 6/11, 7/11	0.67
3/12, 6/12, 7/12	0.67
4/1	0.30
4/2	0.37
4/3	0.37
5	0.55

(1)	(2)
8	0.35
9	0.73
10	2.28
11	1.28
13	1.59
14/1	0.88
14/2	0.54
15/1	0.20
15/2	0.13
15/3	0.40
15/4	0.12
16	1.12
17/1	1.54
17/2	2.92
17/3	0.88
17/4	0.93
17/5	0.83
18/1	0.67
18/2	0.11
19	0.54
20	0.52
21/1	0.50
21/2	0.86
21/3	1.64
21/4	0.45
21/5, 21/6	0.89
21/7	0.64
21/8	0.50
21/9	0.83
21/10	0.84
21/11	0.80
22/1	0.42
22/2	1.27
22/3	0.42
23/1, 23/2, 23/3, 23/4	1.55
24	1.30
25	2.91
26	0.36
27/1	0.18
27/2	0.36
27/3	0.18
27/4	0.15
28	0.85
29/1, 30/1	2.36
29/2, 30/2	1.00
31	1.44
32/1	0.74
32/2	0.70
33/1	0.65
33/2	0.56
34/1	0.41
34/2	0.73
35/1	0.27
36	2.50
37/1	0.10
37/2	1.00
37/3	0.42
37/4	0.41
37/5	0.20
37/6	0.21
38/1	0.32
38/2	0.24
39/1	0.02
39/2	0.03
39/3	0.04
39/4	0.42
39/5	0.28
39/6	0.30
39/7	0.03
40	0.82
41	0.68
42	0.80
43	1.10
44	0.44
45/1	0.32
45/2	0.25
45/3	0.25
46/1	0.42
46/2, 48/1 (1)	0.04
46/2, 48/2 (2)	0.09
46/3	0.18
46/4	0.18
46/5	0.36
46/6	0.06
46/7	0.03
47/1	0.23
47/2	0.18
47/3	0.30
47/4	0.12
47/5	0.33

(1)	(2)	(1)	(2)
47/6	0.04	65/3	0.98
47/7	0.03	65/4	0.08
47/8	0.04	65/8	0.32
47/9	0.03	65/9	0.22
47/10	0.04	65/10	0.18
47/11	0.12	65/11	0.21
47/12	0.04	65/12	0.21
49/1	0.62	65/13	0.17
49/2	0.35	65/14	0.35
49/3	0.10	65/15	0.21
49/4	0.47	65/23	0.12
50/1	0.60	65/24	0.27
50/2	0.55	89/1	0.07
50/3	0.55	108	0.34
51	1.39	109	0.41
52/1	0.50	110/1	0.36
52/2	0.16	110/2	0.18
52/3	0.16	111	0.54
52/4	0.60	112	0.76
52/6	0.22	113	0.31
52/7	0.37	114/1	1.83
53/1	0.88	114/2	1.83
54/1	0.07	114/3	1.82
54/2	0.06	115/1	0.19
54/3	0.14	115/2	0.07
54/4	0.08	115/3	0.06
54/5	0.23	115/4	0.07
54/6	0.05	116/1	0.82
54/7	0.07	116/2	0.82
54/8	0.03	117/1	0.07
54/9	0.97	117/2	0.07
55/1	0.26	117/3	0.13
55/2	0.26	117/4	0.13
56	0.94	117/5	0.52
57	0.36	117/6	0.06
58	0.30	117/7	0.07
59, 63	0.59	119/1	0.22
60/1	0.13	119/2	0.31
60/2, 62	0.16	119/3	0.10
60/3	0.12	120/1	0.27
61	0.08	120/2	0.27
64/1	0.36	120/3	0.27
64/2	0.47	121/1	0.14
64/3	0.30	121/2	0.13
65/1	0.17	121/3	0.13
65/2	0.80	121/4	0.07

(1)	(2)	(1)	(2)
121/5	0.06	156/3	0.49
122/1	0.42	156/4	0.48
122/2	0.41	156/5	0.28
129	0.58	156/6	0.48
130	1.25	156/7	0.58
131/1	2.00	157	1.30
131/2	1.10	159/1	0.42
131/3 क	1.20	159/2	0.41
131/3 ख	0.68	159/3	0.18
131/4, 132	0.61	159/4	0.05
131/5	0.24	159/6	0.55
133	0.48	161	0.80
134	0.50	162/1	0.45
135	0.46	162/2	0.45
136	0.68	163/1	0.84
137	0.24	164/1	0.98
138	0.20	165/1	0.23
139	0.24	165/2	0.70
140/1	0.50	166	2.18
140/2	0.45	167/1	0.24
141/1	0.36	167/2	0.16
141/2	0.28	168	0.50
142/1	0.30	169	0.44
142/2	0.60	170/1	0.72
142/3	0.92	170/2, 171/2	0.40
142/4	0.40	170/3, 170/11	0.24
143/1	0.26	170/4	0.36
143/2	0.54	170/5	0.01
143/3	0.32	170/6, 171/3	0.51
144/1	0.61	170/7	0.58
144/2	0.62	170/8	0.13
145/1	0.69	170/9	0.86
145/2	0.65	170/10	0.65
146	2.95	171/1	0.47
147	0.10	171/4	0.48
148	0.12	184/1	0.18
149	0.49	184/2	0.16
150	0.60	184/3	0.09
151	0.58	184/4	0.09
152/1	0.55	185	0.12
152/2	1.38	186	0.55
153	0.92	187	0.28
154	0.75	188	0.36
155	1.87	189/1	0.85
156/1	0.30	189/2	0.12
156/2	0.30	189/3	0.15
		190/1	0.51

(1)	(2)	(1)	(2)
190/2	0.25	358/1	0.63
190/3	0.31	358/2	0.50
191/1, 191/2	0.63	358/3	0.17
191/3	0.50	359/4	0.32
191/4	0.48	360/3, 361/3	0.42
191/5	0.62	362/1	1.04
192	0.22	363/1	0.27
193/1	0.11	363/2	2.03
195/1	0.60	364/1	0.08
195/2	0.15	364/2	0.14
195/3	0.15	364/3	1.00
196/1	0.16	364/4	0.92
325, 326/2, 506, 507	1.44	364/5	0.28
326/1 क	0.20	364/6	0.19
326/1 ख	0.30	365/2	1.89
327	1.25	366/1	0.56
337/1	0.05	366/2	0.52
337/2	0.45	366/3	0.14
337/3	1.38	366/4	0.55
337/4	0.30	366/5	0.14
337/5	0.30	366/6	0.14
337/6	0.45	367/1	0.82
338/1	0.30	367/2	0.82
338/2	0.30	367/3	0.82
344	1.16	368/1	0.84
347	1.56	368/2	0.30
348, 349	0.68	369	0.90
350/1, 350/3, 350/4, 350/5	0.55	370/1	1.80
350/2	0.21	370/2	0.60
350/6	0.15	370/3	0.35
351	0.75	370/4	0.35
352/1	1.14	370/5	0.40
352/2	0.57	371/1	0.81
352/3	0.57	371/2	1.63
353/1	0.29	371/3	0.81
353/2	0.29	372	1.01
354/1	0.82	373/1	0.17
354/2	0.43	373/2	0.17
354/3	0.42	373/3	0.17
355/1	0.54	374/1	0.15
355/2	0.52	374/2	0.15
355/3	0.32	374/3	0.16
356/1	0.62	375	0.32
356/2	0.21	376	0.34
356/3	0.20	378/1	0.34
357	0.18	378/2	0.34

(1)	(2)	(1)	(2)
379, 380	0.67	393/9	0.60
381/1	0.31	393/10	0.66
381/2	0.07	394/1	0.01
381/3	0.15	394/2	0.72
381/4	0.08	394/3	0.36
382/1	0.19	395	0.08
382/2	0.05	396	0.28
382/3	0.09	397	0.34
382/4	0.06	398	0.35
382/5	0.08	399/1	0.44
382/6	0.07	399/2	0.45
383/1	1.46	400	0.08
383/2	0.72	401/1	0.20
384	0.96	401/2	0.32
385/1	0.95	402/1	0.36
385/2	0.49	402/2	0.44
385/3	0.42	403	0.12
385/4	0.31	404	0.20
385/5	0.49	405	0.20
385/6	0.42	406/1	0.45
386/1	0.67	406/2	0.52
386/2	0.67	406/3	0.45
386/3	0.68	406/4	0.53
387	0.24	407/1	0.30
388/1	0.09	407/2	0.60
388/2	0.33	408/1	0.38
389	2.25	408/2	0.83
390/1	0.24	408/3	1.00
390/2	0.10	409/1	0.92
390/3	0.40	409/2	0.45
391/1	0.29	409/3	0.10
391/2	0.45	409/4	0.45
391/3	0.42	410	1.70
391/4	0.40	411	0.87
392/1	0.33	412	0.70
392/2	0.38	413	1.44
392/3	0.38	414/1	0.89
392/4	0.34	414/2	0.17
392/5	0.33	414/3	0.17
393/1	0.52	414/4	0.18
393/2	0.34	415/1	0.14
393/4	0.27	415/2	0.08
393/5	0.10	415/3	0.79
393/6	0.30	416	0.18
393/7	1.44	417	0.18
393/8	0.10	418	0.34

(1)	(2)	(1)	(2)
419	0.28	436/6	0.25
420/1 क	0.36	436/7	0.57
420/1 ख	0.18	436/8	0.57
420/2 क	0.60	436/9	0.08
420/2 ख	0.72	436/10	0.16
420/3 क	0.68	437/1, 439/2	0.76
420/3 ख	0.12	437/2, 440/3	1.00
421	2.15	439/1	0.27
422	0.54	439/3, 440/1	1.56
423	0.64	439/4	0.30
424/1	0.39	440/2	0.62
424/2	0.20	440/4	0.91
425/1	0.23	441/1	0.53
425/2	0.23	441/2	0.56
426	0.52	441/3	0.53
427/1	0.14	441/4	0.50
427/2	0.09	442	1.74
427/3	0.44	443	1.58
427/4	0.28	444/1	1.00
427/5	0.22	444/2	1.14
427/6	0.11	445/1	0.64
427/7	0.06	445/2	1.00
428/1	0.70	446	0.52
428/2	0.50	447/1	0.13
429	1.39	447/2	0.48
430/1	0.30	447/3	0.32
430/2	0.30	448/1	0.54
430/3	0.33	448/2	0.55
430/4	0.26	448/3	1.09
431/1	0.43	449	0.90
431/2	0.41	450	1.06
431/3	0.60	451/1	0.87
432	0.32	451/2	0.65
433/1	0.07	451/3	0.80
433/2	0.07	451/4	0.88
433/3	0.04	452/1	0.28
433/4	0.10	452/2	0.25
434/1	0.69	452/3	0.28
434/2	0.46	452/4	0.29
435/1	0.43	453	0.45
435/2	0.38	454	0.74
436/1	0.08	455	0.76
436/2	0.50	456/1	1.95
436/3	0.10	456/2	0.05
436/4	0.07	457/1	0.36
436/5	0.39	457/2	0.37

(1)	(2)
458	0.19
459/1, 460/1, 474/1	0.20
459/2, 460/2, 474/2	0.19
461/1	0.03
461/2, 462/2	0.16
461/3, 462/3	0.43
461/4, 462/4	0.08
462/1	0.32
463, 464	1.50
465/1	0.19
465/2	0.64
465/3	0.92
466	0.20
467/1	0.13
467/2	0.40
467/3	0.12
468/1	0.06
468/2	0.06
468/3	0.06
468/4	0.06
468/5	0.06
468/6	0.36
469/1	0.22
469/2	0.57
469/3	0.61
470/1	0.50
470/2	1.01
471	0.19
472	0.59
473	0.77
475/1	0.40
475/2	0.23
479	1.89
480	1.29
481/1	0.40
481/2	0.20
482/1	0.59
482/2	0.24
483/1	0.12
483/2	0.22
484/1	0.40
484/2	0.20
484/3	0.20
485/1	1.30
485/2	0.08
485/3	0.36
486/1	0.25
486/2	0.18
487	0.62
488/1	0.50
488/2	1.02
489/1	0.53
489/2	2.26
489/3	0.70
489/4	0.82
490	0.26
491/1	1.22
491/2	0.05
491/3	0.90
492/1	0.32
492/2	0.32
493/1	0.26
493/2	0.26
493/3	0.19
493/4	0.55
494/1	0.17
494/2	0.44
494/3	0.17
494/4	0.16
495/1	0.41
495/2	0.25
495/3	0.17
496	0.38
497	0.55
501/1	0.20
501/2	0.73
502	0.50
503	0.82
504	0.89
505	0.45
योग 649	333.12

(1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चंद्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रॉयपुर

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर, रायपुर छ.ग.

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2011

क्रमांक/स्था./एक/श्र.आ./2011/10059.—मैं आर. सी. सिन्हा, श्रम आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभागीय आदेश क्रमांक 473 7258/16, दिनांक 24 जनवरी, 1961 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्न सारिणी के स्तम्भ क्रमांक 2 में दर्शाये गये व्यक्तियों को सारिणी के स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्रों के लिये "निरीक्षक" नियुक्त करता हूं :—

अ. क्र.	निरीक्षक का नाम	अधिकार क्षेत्र
1.	श्री जगदीश कश्यप, श्रम उप निरीक्षक	संपूर्ण राज्य में सभी स्थानीय क्षेत्रों एवं सभी प्रकार के संस्थानों के लिए जिन पर यह अधिनियम लागू होता है.

आर. सी. सिन्हा,
श्रमायुक्त.

कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर

कांकेर, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

क्रमांक/65/दो-16-2/2011.—छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, डी. के. एस. भवन, मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक 2309/756/21-ब/छ.ग./2011 रजि. पृष्ठांकन क्रमांक 226/गोप./2011/दो-2-25/2005 बिलासपुर दिनांक 28-03-2011 के द्वारा श्री नरसिंह उसेण्डी, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांकेर के दिनांक 28-03-2011 को पूर्वान्ह: में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखे में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश कुल 174 दिवस (एक सौ चौहत्तर दिवस) के नगदीकरण की स्वीकृति छ.ग. शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (Clarification) के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय
बिलासपुर के आदेशानुसार.

महादेव कातुलकर
कृते जिला एवं सत्र न्यायाधीश.

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ 18-23/दो-2/पंचा/2011/1802.—कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 364/स्था.नि./2011 दिनांक 22 नवम्बर 2011 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एफ 37-14/तीन (एक)-1/2011/1664 दिनांक 28 अक्टूबर 2011 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2011 के लिए जारी समय-अनुसूची (कार्यक्रम) में जनपद पंचायत लुण्ड्रा, ग्राम पंचायत पटोरा के सरपंच पद के निर्वाचन हेतु मतदान के लिए निर्धारित तिथि दिनांक 27-11-2011 को एक सप्ताह के लिए स्थगित करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार उपरांत छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 42 सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा आयोग के आदेश क्रमांक एफ 37-14/तीन (एक)-1/2011/1664 दिनांक 28 अक्टूबर 2011 के द्वारा उक्त निर्वाचन नियम 1995 के नियम 28 के तहत जारी समय-अनुसूची (कार्यक्रम) में आंशिक संशोधन करते हुए मात्र जिला सरगुजा के जनपद पंचायत लुण्ड्रा, ग्राम पंचायत पटोरा के सरपंच के रिक्त पद की पूर्ति के लिए उप निर्वाचन हेतु निम्नलिखित संशोधित समय-सूची (कार्यक्रम) विहित करता है—

क्र.	कार्यवाही	संबंधित नियम	निर्धारित तारीख	दिन	समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	मतदान (यदि आवश्यक हो)	28 (घ)	04-12-2011	रविवार	प्रातः 7.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
8.	मतगणना (1) मतदान केन्द्रों पर	28 (ङ)	04-12-2011	रविवार	मतदान के तुरन्त बाद
	(2) यदि आवश्यक हो तो तहसील/खण्ड मुख्यालय पर.		05-12-2011	मंगलवार	अपरान्ह 3.00 बजे से
9.	सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा (1) पंच, सरपंच/जनपद पंचायत सदस्य के मामले में.	81	06-12-2011	बुधवार	प्रातः 9.00 बजे से (खंड मुख्यालय में)

2. छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एफ 37-14/तीन (एक)-1/2011/1664 दिनांक 28 अक्टूबर 2011 द्वारा जारी त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2011 के लिए जारी शेष समय-अनसूची (कार्यक्रम) यथावत् रहेगा. जिला सरगुजा के जनपद पंचायत लुण्ड्रा, ग्राम पंचायत पटोरा के सरपंच के रिक्त पद की पूर्ति के लिए उप निर्वाचन हेतु भी शेष कार्यक्रम पूर्व अनुसार रहेगा.

रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ 18-19/दो-2/पंचा/2011/1822.—कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 669/स्था.नि./याचिका/2011 दिनांक 25 नवम्बर 2011 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के याचिका क्रमांक WP(C) 2961/2011 में पारित आदेश दिनांक 17-11-2011 के परिपालन में ग्राम पंचायत दुपचेरा के सरपंच पद के उप निर्वाचन 2011 की कार्यवाही को रोकने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है. छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एफ-37-14/तीन (एक)-1/2011/1664 दिनांक 28 अक्टूबर 2011 द्वारा पंचायत उप निर्वाचन 2011 के लिए जारी समय अनुसूची (कार्यक्रम) में विकासखंड गुरूर, ग्राम पंचायत दुपचेरा के सरपंच पद के निर्वाचन हेतु मतदान के लिए निर्धारित तिथि दिनांक 27-11-2011 है. प्रकरण में ध्यानपूर्वक विचार उपरांत छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 42 सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य

निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा आयोग के आदेश क्रमांक एफ 37-14/तीन (एक)-1/2011/1664 दिनांक 28 अक्टूबर 2011 के द्वारा उक्त निर्वाचन नियम 1995 के नियम 28 के तहत जिला दुर्ग के जनपद पंचायत गुरूर के मात्र ग्राम पंचायत दुपचेरा के सरपंच के रिक्त पद की पूर्ति के लिए जारी समय-अनुसूची (कार्यक्रम) की क्रमांक-7 मतदान क्रमांक-8 मतगणना, क्रमांक-9 सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि आगामी आदेश तक बढ़ाई जाती है.

आई. आर. देहारी,
सचिव.

न्यायालय, सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

घरघोड़ा, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

प्रारूप-ख
[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 3/अ 67/2011-12.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम बासनपाली, प.ह.नं. 37, तह. तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम सलिहाभांठा, प.ह.नं. 32, तह.-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार पोस्ट तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछायी जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम बासनपाली, प.ह.नं. 37, तह. तमनार, जिला-रायगढ़ कि भूमि का जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि	
				(हेक्टेयर में)	(एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	ग्राम-बासनपाली	244/1	0.012	0.03
		प.ह.नं. 37	244/2	0.042	0.10
			244/3		0.00
			245/1	0.080	0.20
			245/2	0.044	0.11
		योग	**05**	**0.178**	**0.44**

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, घरघोड़ा, रायगढ़ छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ. ग.) में देखा जा सकता है.

घरघोड़ा, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

प्रारूप-ख
[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 4/अ 67/2011-12.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम उजलपुर, प.ह.नं. 36, तह. तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) से **जल परिवहन** हेतु ग्राम सलिहाभांठा, प.ह.नं. 32, तह.-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार पोस्ट तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछायी जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम उजलपुर, प.ह.नं. 36, तह. तमनार, जिला-रायगढ़ कि भूमि का जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)	(एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	ग्राम-उजलपुर	12/1	0.047	0.120
		प.ह.नं. 36	12/2	0.046	0.600
			2/21	1.06	0.020
			2/2	0.309	0.980
			2/1	0.31	3.480
			2/6	0.041	0.700
			7/2	0.041	0.810
			1/14	0.049	0.560
			2/26	0.243	0.100
		योग	09	2.146	5.016

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, घरघोड़ा, रायगढ़ छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :—

1 भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ. ग.) में देखा जा सकता है.

ए. के. वैष्णव,
सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 23rd November 2011

No. 408/L.G./2011/II-3-20/2007.—Shri Shivmangal Pandey, District & Sessions Judge, Raigarh is hereby, granted earned leave for 10 days from 24-11-2011 to 03-12-2011 suffixing holiday of 04-12-2011 (Sunday) along with permission to remain out of headquarters for the said period.

During the period of said earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Pandey, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 275 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 23rd November 2011

No. 409/L.G./2011/II-2-43/2004.—Shri Prabhat Kumar Shastri, District & Sessions Judge, Jashpur is hereby, granted earned leave for 05 days from 21-11-2011 to 25-11-2011 prefixing holidays of 19th & 20th November, 2011 (3rd Saturday & Sunday) along with permission to remain out of headquarters after the office hours on 18-11-2011 till before the office hours on 26-11-2011.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shastri, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 245 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 25th November 2011

No. 410/L.G./2011/II-2-7/2009.—Shri Mahadev Katulkar, District & Sessions Judge, Uttar Bastar (Kanker) is hereby, granted earned leave for 08 days from 12-12-2011 to 19-12-2011 and permission to prefix holidays of 10th and 11th December, 2011 (2nd Saturday & Sunday) alongwith permission to remain out of headquarter.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Katulkar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 284 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 25th November 2011

No. 411/L.G./2011/II-2-4/2003.—Shri D. K. Tiwari, Principal Judge, Family Court, Durg is hereby, granted earned leave for 17 days from 23-11-2011 to 09-12-2011 and permission to suffix holidyas of 10th and 11th December, 2011 (Saturday & Sunday) along with permission to remain out of headquarter.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Tiwari, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 268 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
BALINDAR SINGH SALUJA, Additional Registrar.